

झारखंड उच्च न्यायालय में 4 नये न्यायाधीशों की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

8 अक्टूबर, 2021 को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रविरंजन ने चार नये जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दलाई।

प्रमुख बिंदु

- इन नव नियुक्त न्यायाधीशों में शामिल हैं- अंबुज नाथ, गौतम कुमार चौधरी, नवनीत कुमार एवं संजय प्रसाद।
- वदिति है कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के द्वारा केंद्र सरकार को झारखंड उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिये 5 जजों के नामों की सफारिश की गई थी, कति केंद्र सरकार के द्वारा चार नामों को ही स्वीकृति प्रदान की गई।
- झारखंड उच्च न्यायालय में जजों के कुल स्वीकृत पद 25 हैं, कति इन नई नियुक्तियों के बाद भी जजों की कुल पदस्थापति संख्या वर्तमान में केवल 19 है।
- ध्यातव्य है कि झारखंड राज्य निर्माण के पूर्व सर्वप्रथम 6 मार्च, 1972 को राँची में पटना उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच की स्थापना की गई थी, जसि 1976 में एक स्थायी बेंच का दर्जा प्राप्त हुआ, कति वर्तमान रूप में झारखंड उच्च न्यायालय 15 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया, जब बिहार राज्य का पुनर्गठन किया गया और एक नये राज्य झारखंड का उदय हुआ।